महत्वपूर्ण

संख्या-2416 /नौ-6-2024

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांकः 05, दिसम्बर, 2024**

विषयः नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) योजनान्तर्गत प्रचालन एवं अनुरक्षण (A & OE) मद हेतु कुल आरक्षित 02 प्रतिशत धनराशि में से 01 प्रतिशत धनराशि रू0 500.00 लाख (रू0 पांच सौ लाख मात्र) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8/5180/458/PMU/2023, दिनांक 14.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक-2217808001800 नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनायें में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 50000.00 लाख (रू0 पचास हजार लाख मात्र) के सापेक्ष 01 प्रतिशत धनराशि रू0 500.00 लाख (रू0 पांच सौ लाख मात्र) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) के दिशा-निर्देश के प्रस्तर-9.6 के अनुसार योजनान्तर्गत पी0एम0यू0, क्षमता निर्माण, इन्फार्मेशन एजूकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन (IEC) गतिविधियों, प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A & OE) पर व्यय के लिए कुल प्राविधानित बजट व्यवस्था का 02 प्रतिशत धनराशि आरक्षित किये जाने का प्राविधान है। उक्त 02 प्रतिशत आरक्षित धनराशि में से 01 प्रतिशत धनराशि नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 के स्तर पर आरक्षित की जायेगी।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) के दिशा-निर्देश के प्रस्तर-9.6 में उल्लिखित प्राविधानानुसार योजनान्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि रू0 50000.00 लाख (रू0 पचास हजार लाख मात्र) के सापेक्ष 01 प्रतिशत धनराशि रू0 500.00 लाख (रू0 पांच सौ लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

(1) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 स्तर पर आरक्षित उक्त 01 प्रतिशत धनराशि रू0 500.00 लाख (रू0 पांच सौ लाख मात्र) हेतु एक बैंक खाता पृथक रूप से खोला जायेगा, जिसका संचालन निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 एवं सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

(2) खाते के आय-व्ययक का विवरण सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा रखा जायेगा। सहायक निदेशक (लेखा) द्वारा उक्त खाते के संचालन में संगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त खाते में उपलब्ध धनराशि का उपयोग निम्न प्रकार से किया जा सकेगा:-

(i) परियोजना प्रबन्धन इकाई की स्थापना।

(ii) क्षमता निर्माण, इन्फार्मेशन एजूकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन (IEC) तथा प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A & OE) हेतु।

(iii) कार्यशाला/प्रशिक्षण/स्टडी/स्टेशनरी और देश के अन्तर्गत अधिकारियों के भ्रमण/यात्रा, परियोजना विशेषज्ञ, उपार्जन (Procurement) विशेषज्ञ, अनुबन्ध प्रबन्धन, ट्रान्जैक्शन परामर्शी के लिए सीमा से बाहर का व्यय।

GOs noting

(iv) योजना के अनुश्रवण हेतु डैश-बोर्ड विकसित करने व अन्य डिजिटल और आई0टी0 इनीशिएटिव हेतु।

(v) सामाजिक-आर्थिक पर्यावरणीय प्रभाव, मूल्यांकन, अध्ययन/शोध/अभिलेखीकरण, राज्य स्तर पर प्रचार-प्रसार, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि पर व्यय।

(vi) राज्य नगरीय अवसंरचना समिति (SUIC) द्वारा निर्देशित कोई अन्य कार्य।

(vii) निदेशालय स्तर पर उक्त आरक्षित धनराशि संगत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार ही व्यय की जायेगी।

(viii) सहायक निदेशक (लेखा)/वित्त नियन्त्रक द्वारा उक्त धनराशि के व्यय में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों/प्रतिबन्धों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित सहायक निदेशक (लेखा)/वित्त नियन्त्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाये।

(ix) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों तथा वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 500.00 लाख (रू0 पांच सौ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक-2217808001800 नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं (मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना CM-VNY) योजना मानक मद-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 संख्या– E-9-310-X-2024-25-दिनांक: 03-12-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-09/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01/02।
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
03.12.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।